

# सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंगा, लखनऊ -226 007

सेवा में

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,

समस्त जनपद।

पत्रांक -रा०प०नि०/ कम्प्यूटर अनुभाग / १२६७/ २०१२-१३

दिनांक: २२ जून, २०१२

विषय – शैक्षिक सत्र २०१२-१३ हेतु विद्यालय सांख्यिकी रिपोर्ट (ई०एम०आई०एस०) के लिए  
निर्धारित समय सारणी।

महोदय / महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय सांख्यिकी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है। वर्ष २०१२-१३ की विद्यालय सांख्यिकी शुद्ध एवं समयबद्ध रूप में तैयार की जानी है। विगत वर्षों की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सभी विद्यालयों से प्रपत्र एकत्रित नहीं किये गये हैं, विशेषकर मान्यता प्राप्त प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों से प्रपत्र पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये गये हैं जिसके कारण नामांकन की पूरी स्थिति नहीं मिल पा रही है। नामांकन की पूरी स्थिति न मिल पाने के कारण प्रदेश के शैक्षिक इन्डीकेटर्स सही रूप में परिलक्षित नहीं हो पा रहे हैं। वर्ष २०११-१२ के डायस डाटा में कवरेज की कमी, डाटा की अशुद्धता, डाटा से रिपोर्ट जनरेशन, डाटा चेकिंग, डाटा इंडीकेटरों की गणना एवं डाटा कवरेज में कमी/अपूर्णता एवं इसके सुधार के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय में आयोजित बेसिक शिक्षा अधिकारियों/ मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)की बैठकों में अवगत कराया जाता रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष २०१२-१३ में समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा ६-८ के अनुभाग अनिवार्यतः समिलित किये जायें। इस हेतु आपको सभी परिषदीय विद्यालयों, सभी मान्यता प्राप्त (अनुदानित/ गैर अनुदानित) विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों, के०जी०बी०वी०, जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग, आई.सी.एस.ई. / सी.बी.एस.ई से मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय/ मदरसा आदि (संलग्नक 'क') को विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र भेजने होंगे तथा सभी विद्यालयों से भरे हुए प्रपत्र प्राप्त करने होंगे, ताकि जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा की समग्र स्थिति ज्ञात हो सके एवं तदनुसार जनपद की आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट २०१३-१४ में डायस २०१२-१३ के अनुसार वास्तविक एवं सही आंकड़े/स्थिति समिलित की जा सके। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक सं० रा०प०नि०/९८६/ २०१२-१३ दिनांक ०८ जून, २०१२ के द्वारा जनपदों के समस्त प्रकार के विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री तैयार करने के निर्देश पूर्व में ही भेजे जा चुके हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम २००९ के परिप्रेक्ष्य में DISE २०१२-१३ में जनपद के सभी विद्यालयों के समय से पूर्ण कवरेज तथा पूर्ण डाटा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। भरे हुए डी०सी०एफ की एक छाया प्रति की उपलब्धता सम्बन्धित विद्यालयों में सुनिश्चित करायें।

माह जुलाई 2012 से नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हो रहा है। अतः शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार करने हेतु समयबद्ध रूप में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निर्धारित समय सारिणी संलग्न है।

ब्लॉक स्तर पर डी0सी0एफ0 भरने का प्रशिक्षण सभी विद्यालयों के हैडटीचर को दिया जाय एवं/प्रशिक्षण के दौरान प्रपत्रों में सही एवं पूर्ण सूचना भरने पर बल दिया जाय। प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से बताया जाये कि विद्यालयवार अवस्थापना सुविधायें जैसे शौचालय (बालक), शौचालय (बालिका), पेयजल सुविधा, कक्षा कक्ष, रैम्प, किचनशेड, बाउन्ड्रीवाल, प्लेग्राउन्ड, लाईब्रेरी गत वर्ष से कम नहीं होने चाहिये तथा प्रत्येक विद्यालय में नामांकन एवं शिक्षक अवश्य अंकित हों। उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र अंकित नहीं हों, आयुवार/कक्षावार प्रपत्र में कक्षावार एवं आयुवार नामांकन अवश्य अंकित हो तथा विद्यालय में कक्षावार/आयुवार/जातिवार विद्यार्थियों का योग एक समान होना चाहिए।

विद्यालय सारिणी कार्य के लिए जनपद स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जिला समन्वयक, (सामुदायिक सहभागिता) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) को नोडल अधिकारी नामित किया जाये एवं ब्लॉक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा नामित अधिकारियों के नाम/पदनाम/टेलीफोन नं० राज्य परियोजना कार्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करायें जायें। भरे हुए प्रपत्र एकत्रित करने तथा जनपद कार्यालय में उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों नोडल अधिकारियों एवं सम्बन्धित ब्लाक के खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी।

कृपया उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रसारण करायें तथा सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के विद्यालयों द्वारा DCF भरकर पूर्ण डाटा उपलब्ध कराया जाये। सभी सम्बन्धित अधिकारियों तथा स्टाफ को सम्यक् निर्देश अपने स्तर पर प्रसारित करें तथा प्रसारित निर्देश की एक प्रति श्री अभिनव सिन्हा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें। उक्त समय-सारिणी तथा निर्देश आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि समय-सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस विषय में पुनः अनुस्मरण कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथियों पर सूचना का प्राप्त न होना अक्षम्य होगा।

उपर्युक्त कार्य समयबद्ध है। कृपया वरीयता प्रदान करें।

संलग्नक :— उक्तवत्।

भवदीय

→

(अतुल कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक

पृ०: रा०प०नि०/ कम्प्यूटर अनुभाग/ 1262/ 2012-13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।

→

(अतुल कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक

शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु विद्यालय सांख्यिकी रिपोर्ट (ई०एम०आई०एस०) के लिए निर्धारित समय सारणी।

क्र०स०	कार्य बिन्दु	समयावधि
1	गत वर्ष बनाई ब्लॉकवार स्कूल डायरेक्टरी को सभी प्रकार के विद्यालय (कक्षा 1-8) को सम्मिलित करते हुए अपडेट किया जाना।	08-29 जून, 2012
2	डायस फारमेट पर प्रपत्र छपवाना/प्रतियों तैयार करना एवं जनपद स्तर पर डायस डाटा, डायस रिपोर्ट, एजुकेशनल इंडीकेटर्स, डी०सी०एफ भरने, स्कूल रिपोर्ट कार्ड, जनवाचन पर एम०आई०एस० इचार्ज / कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी समस्त जिला समन्वयकों एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रशिक्षण एवं प्रत्येक विकास खण्ड से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित एक अध्यापक को मास्टर ट्रेनर के रूप में एक दिन का प्रशिक्षण।	02-18 जुलाई, 2012
3	प्रपत्र विद्यालयों को उपलब्ध कराना।	19-31 जुलाई 2012
4	बी०आर०सी०/नगर क्षेत्र स्तर पर सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण, जनपद के कम्प्यूटर आपरेटर/ई०एम०आई०एस० इचार्ज, द्वारा दिया जायेगा। उपरोक्त प्रशिक्षण में जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता), जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), सम्बन्धित ब्लाक के संकुल प्रभारी तथा सम्बन्धित ब्लाक के खण्ड शिक्षा अधिकारी/ सह समन्वयकों एवं ब्लाक कम्प्यूटर आपरेटर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।	01 अगस्त -25 सितम्बर, 2012
5	सम्पूर्ण प्रपत्रों को भरा जाना। ( 30 सितम्बर, 2012 के नामांकन के आधार पर )	01-06 अक्टूबर ,2012
6	प्रधानाध्यापकों द्वारा संकुल स्तर पर भरे हुए प्रपत्र जमा करना।	08-10 अक्टूबर 2012
7	सही नामांकन भरने की जिम्मेदारी हैडटीचर की होगी तथा हैड टीचर द्वारा डी०सी०एफ० में भरा हुआ नामांकन VER / WER में भरे हुए नामांकन के तारतम्य हो। संकुल प्रभारियों द्वारा भरे हुए प्रपत्रों का शत प्रतिशत परीक्षण/जांच के उपरान्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर जमा कराना तथा यह प्रमाण पत्र देना कि उनके आधीन समस्त विद्यालयों से सही सूचना एकत्र कर ली गई है एवं प्रपत्रों पर भरी सूचना सही है। यह प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिया जायेगा।	11-12 अक्टूबर 2012
8	25% प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग सह समन्वयक / ब्लाक कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा चेकिंग के पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा चेकिंग सहित समस्त प्रमाणपत्रों सहित भरे प्रपत्र जिला बेसिक अधिकारी के कार्यालय (संलग्नक- ख पर संलग्न ब्लॉकवार/नगर संसाधन केन्द्रवार प्रपत्र में उपलब्ध कराना) में जमा करना।	13-15 अक्टूबर 2012
9 अ	ई०एम०आई०एस० इचार्ज/कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा भरे हुए प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात एन०पी०आर०सी०/ ब्लाकवार अपडेटिड स्कूल डायरेक्टरी के अनुसार चैक करना कि सभी विद्यालयों के डी०सी०एफ प्राप्त हुए हैं कि नहीं। इसकी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराकर अवशेष विद्यालयों के डी०सी०एफ प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।	17-25 अक्टूबर, 2012
9 ब	सभी डी०सी०एफ० को चैक करके अपूर्ण/अशुद्ध डाटा की सूची (ब्लाकवार-विद्यालयवार)जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराकर पूर्ण/शुद्ध डी०सी०एफ प्राप्त करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।	
10	कम्प्यूटर आपरेटर एवं ई०एम०आई०एस० इचार्ज द्वारा डाटा इन्ट्री कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण करना।	26 अक्टूबर-26 नवम्बर 2012
11 अ	ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट की बैकअप सी०डी० तथा दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण जनपद स्तर पर (ब्लाकवार/ नगर संसाधनवार ) चैक करने के पश्चात संलग्न प्रारूप जनपदवार विवरण (संलग्नक 'ग') पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना। ब्लाकवार/जनपदवार, आशुद्धी और इन्स्ट्रक्शनवार नामांकन एक समान होना चाहिए।	27 नवम्बर- 18 दिसम्बर, 2012
11 ब	राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा चेकिंग तथा अशुद्धियों/ कमियों को जनपदों को अवगत कराना।	
12	जनपदों द्वारा अशुद्धियों को ठीक कर फाइनल डाटा की सी०डी० एवं डायस प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।	19-31 दिसम्बर- 2012
13	ब्लॉक रिपोर्ट कार्ड एवं स्कूल रिपोर्ट कार्ड का जैनरेशन एवं ब्लॉक स्तर तथा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना	माह फरवरी, 2013

## प्रमुख बिन्दुओं का दो वर्षों का ब्लाकवार तुलनात्मक चार्ट

ब्लाक का नाम—

जनपद का नाम—  
(क) परिषदीय विद्यालयों का विवरण

क्रम सं०	विवरण	डायस डाटा 2011-12		डायस डाटा 2012-13	
		प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्रा० विद्यालयों की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्रा० विद्यालयों की संख्या
1	पेयजल व्यवस्था सहित विद्यालय				
2	शौचालय (बालक) सहित विद्यालय				
3	शौचालय (बालिका) सहित विद्यालय				
4	रेप्स सहित विद्यालय				
5	बाउन्डीवाल सहित विद्यालय				
6	किंचनशेड सहित विद्यालय				
7	कक्षा-कक्ष रहित विद्यालय				
8	भवन रहित विद्यालय				
9	प्लेग्राउन्ड सहित विद्यालय				
10	लायब्रेरी सुविधा सहित				
11	अध्यापक रहित विद्यालय				
12	नामांकन रहित विद्यालय				
13	नो रिस्पोन्स विद्यालय				
14	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू के अतिरिक्त अन्य मीडियम वाले विद्यालयों की संख्या				
15	उन विद्यालयों की संख्या जिनमें आयुवार/कक्षावार प्रपत्र में आयु कक्षावार नहीं भरी हो				

(ख) जनपद के सभी विद्यालयों (All Management) का विवरण

क्रम सं०	विवरण	डायस डाटा 2011-12		डायस डाटा 2012-13	
		प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्रा० विद्यालयों की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्रा० विद्यालयों की संख्या
1	पेयजल व्यवस्था सहित विद्यालय				
2	शौचालय (बालक) सहित विद्यालय				
3	शौचालय (बालिका) सहित विद्यालय				
4	रेप्स सहित विद्यालय				
5	बाउन्डीवाल सहित विद्यालय				
6	किंचनशेड सहित विद्यालय				
7	कक्षा-कक्ष रहित विद्यालय				
8	भवन रहित विद्यालय				
9	प्लेग्राउन्ड सहित विद्यालय				
10	लायब्रेरी सुविधा सहित				
11	अध्यापक रहित विद्यालय				
12	नामांकन रहित विद्यालय				
13	नो रिस्पोन्स विद्यालय				
14	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू के अतिरिक्त अन्य मीडियम वाले विद्यालयों की संख्या				
15	उन विद्यालयों की संख्या जिनमें आयुवार/कक्षावार प्रपत्र में आयु कक्षावार नहीं भरी हो				

जनपदवार विद्यालयों का विवरण— 2012–13

जनपद का नाम—

**नोट-** जनपद अपने लार पर लैंडिंगवार डायरेक्टरी बनाए तथा इनको समाज करके उनपर विभिन्न इसारेकरी बनाए।

भगवद्गीता का अध्ययन करें तो व्याख्यात नगर संसाधन के बारे हुए लेखकोंका उल्लंघन करने का प्रयत-

जनपद का नाम—  
संसाधन केन्द्र का नाम—  
एमोरीआरसी०-  
केन्द्र में कुल वार्ड-  
संसाधन के बहुत बार्ड-  
वार्ड जिनमें

खण्ड शिक्षा अधिकारी  
नाम-

बलाक कम्प्यूटर आपरेटर  
नाम—

6